कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

29 एवं 30 अप्रैल को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे

भोपाल 28 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अप्रैल (रविवार) एवं 30 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में राउंड दि क्लॉक चैक से बिल भुगतान और भोपाल शहर में अरेरा कालोनी, एम.पी. नगर, टी.टी. नगर, वल्लभ नगर, गोविंदपुरा, शक्तिनगर, विद्यानगर, रॉयल मार्केट, राज होम्स, शाहपुरा, रचना नगर, बस स्टैण्ड, कोटरा, बैरागढ़, चॉदबढ़, करौंद, शिवाजी नगर, सुल्तानिया, छौला एवं जहॉगीराबाद पर लगी ए.टी.पी. मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

समाचार क्र. 61/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

ग्राम स्वराज दिवस : 166 गावों में 28 अप्रैल को कैम्प लगाकर दिए जाएंगे सौभाग्य योजनान्तर्गत बिजली कनेक्शन

भोपाल 27 अप्रैल। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और ऊर्जा विभाग म.प्र.शासन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय के कार्यक्षेत्रों में मध्य क्षेत्र के कुल 166 गावों में 28 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसमें कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में सौभाग्य योजना के पैम्पलेट, बैनर लगाकर कैम्प आयोजित कर बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने बताया कि ग्राम स्वराज दिवस पर ग्राम स्वराज अभियान के दौरान सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिए जाने वाले उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

ग्राम स्वराज अभियान के दौरान सौभाग्य योजना में दिए गए 4 हजार 688 कनेक्शन

14 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों में फैले 166 गावों में 27 अप्रैल तक लगभग साढ़े 4 हजार से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना में 541, भिण्ड में 1221, ग्वालियर में 329, सीहोर में 248, राजगढ़ में 181, दतिया में 111, गुना में 25, शिवपुरी में 969, रायसेन में 346, अशोकनगर में 11, भोपाल में 36, होशंगाबाद में 23, विदिशा में 606 एवं श्योपुर में 21 कनेक्शन दिए गए हैं।

सौभाग्य में अब तक 5 लाख 66 हजार से अधिक घर रोशन

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 5 लाख 66 हजार से अधिक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें भोपाल में 20 हजार 510, रायसेन में 33 हजार 714, विदिशा में 32 हजार 373, सीहोर में 24 हजार 472, राजगढ़ में 57 हजार 683, होशंगाबाद में 21 हजार 908, हरदा में 14 हजार 17, बैतूल में 30 हजार 173, ग्वालियर में 38 हजार 850, दतिया में 33 हजार 370, मुरैना में 49 हजार 963, भिण्ड में 48 हजार 136, गुना में 53 हजार 715, अशोकनगर में 20 हजार 601, शिवपुरी में 61 हजार 716 एवं श्योपुर में 24 हजार 848 कनेक्शन दिए गए हैं।

समाचार क्र. 60/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

satish\2018\News mail\27 Apr 18

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

29 एवं 30 अप्रैल को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे

भोपाल 24 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अप्रैल (रविवार) एवं 30 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में राउंड दि क्लॉक चैक से बिल भुगतान और भोपाल शहर में अरेरा कालोनी, एम.पी. नगर, टी.टी. नगर, वल्लभ नगर, गोविंदपुरा, शक्तिनगर, विद्यानगर, रॉयल मार्केट, राज होम्स, शाहपुरा, रचना नगर, बस स्टैण्ड, कोटरा, बैरागढ़, चॉदबढ़, करौंद, शिवाजी नगर, सुल्तानिया, छौला एवं जहॉगीराबाद पर लगी ए.टी.पी. मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

समाचार क्र. 58/2018

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक मुफ्त बिजली कनेक्शन लें

भोपाल 24 अप्रैल। राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना प्रभार (निःशुल्क) लिए घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस संबंध में पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी विद्युत वितरण केन्द्र में जाकर अपना आवेदन एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्राप्त करें।

समाचार क्र. 59/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

satish\2018\News mail\24 Apr 18

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

नेशनल लोक अदालत आज
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते

भोपाल 21 अप्रैल। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में आज लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्‍वारा विद्‍युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी द्‍वारा विद्‍युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।

कंपनी द्‍वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्‍वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्‍योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।

प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्‍वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्‍वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।

- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
- उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्‌युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
- आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्‌वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्‌वारा विद्‌युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्‌युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
- सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

यह छूट मात्र नेशनल ''लोक अदालत/मेगा लोक अदालत'' 22 अप्रैल 2018 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

समाचार क्र. 57/2018

(मनोज द्‌विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

विद्युत कार्मिकों को जीपीएफ पर मिलेगा 9.50 प्रतिशत ब्याज
सेवानिवृत्त कार्मिकों के ब्याज पर कटेगा टीडीएस

भोपाल 19 अप्रैल। मध्य मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि न्याय (जीपीएफ ट्रस्ट) ने निर्णय लिया है कि ट्रस्ट के अभिदाताओं को उनके सामान्य जीपीएफ खातों में जमा राशि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में अंतिम रूप से 9.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

जीपीएफ ट्रस्ट ने यह निर्णय भी लिया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवानिवृत्त अभिदाताओं के सामान्य जीपीएफ खाते के अंतिम शेष पर प्रावधिक रूप से 9.25 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन द्वारा अंतिम या फाइनल ब्याज दर 9.25 प्रतिशत से कम निर्धारित किए जाने पर, स्वीकृत कर दिए गए भविष्यनिधि अंतिम भुगतान प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा। इसी प्रकार ट्रस्ट द्वारा अंतिम या फाइनल ब्याज दर 9.25 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किए जाने पर स्वीकृत कर दिए गए भविष्यनिधि अंतिम भुगतान प्रकरणों में अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिकों के ब्याज पर कटेगा टीडीएस- मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि न्याय (जीपीएफ ट्रस्ट) के सचिव ने जानकारी दी कि आयकर अधिनियम की धारा 192 ए एवं आयकर के चतुर्थ अनुच्छेद भाग 'अ' के नियम 8 के अंतर्गत ट्रस्ट के अभिदाताओं को उनकी जमा राशि पर सेवानिवृत्त उपरांत देय भविष्यनिधि ब्याज की राशि (सेवानिवृत्त पूर्व देय ब्याज को घटाकर) 50,000 रूपए से अधिक होने पर, उस राशि पर 'स्त्रोत पर आयकर की कटौती' 10 प्रतिशत की दर से की जाएगी। अभिदाता और आयकर विभाग से जारी स्थायी खाता क्रमांक आवंटित न कराने की स्थिति में उक्त राशि पर 'स्त्रोत पर आयकर की कटौती' 20 प्रतिशत की दर से की जाएगी। ट्रस्ट की सचिव ने अभिदाताओं के जीपीएफ के अंतिम भुगतान आवेदन के साथ अभिदाता को आयकर विभाग से आवंटित स्थायी लेखा क्रमांक (पेन नंबर) की प्रमाणित फोटो का◌ॅपी संलग्न करने का अनुरोध किया है।

समाचार क्र. 56/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

satish\2018\News mail\19 Apr 18

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
मॉकड्रिल कर अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के समझाए गए तरीके
अग्निशमन सेवा पखवाड़ा मनाया गया

भोपाल 17 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय भण्डार भोपाल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भेल अग्निशमन इकाई के सहायक उपनिरीक्षक श्री चंद्रभान सिंह एवं उनके दल द्वारा अग्निशमन सेवा पखवाड़ा 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के तहत अग्नि सुरक्षा, आग से होने वाली हानि एवं उससे बचाव तथा अग्निशमन यंत्रों के बेहतर उपयोग के बारे में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को जानकारी दी। विभिन्न श्रेणी की अग्नि शमन हेतु अग्निशमन यंत्रों के संबंध में मॉकड्रिल कराकर सुरक्षा सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया गया।

इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की महाप्रबंधक (क्षेत्रीय भंडार) श्रीमती दीप्ति मिश्रा, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश यादव, कंपनी के सुरक्षा उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र आम्रवंशी सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित थे।

समाचार क्र. 55/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

CLASS

सेवा पखवाड़ा
2018
LET US ADOPT FIRE
आइए मिलकर अग्नि
इकाई भेल भोपाल
CISF

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

बिजली विहीन परिवारों से अपील :
सौभाग्य योजनान्तर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन लेकर अपने घर को करें रोशन

भोपाल 16 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बिजली कनेक्शन विहीन परिवार को सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर घर रोशन करने हेतु बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है। बिजली कनेक्शन विहीन परिवार जनों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में शामिल होकर अपने घर रोशन करें। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत नई सर्विस केबल उपभोक्ताओं के यहां लगाई जाए, तभी सौभाग्य योजना में उस कनेक्शन को शामिल माना जाएगा। नई केबल के साथ मीटर और पूरी किट के साथ सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिया जाए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण केबल लगाई जाए और उपभोक्ताओं को सौभाग्य योजना में शत-प्रतिशत संतुष्ट होना चाहिए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन मजरा-टोलों और गावों में लाईनों के विस्तार की आवश्यकता है और उन गांवों के कामों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए ताकि सौभाग्य योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य अक्टूबर के पहले पूरा कर लिया जाए। कंपनी ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि वे उपर्युक्त निर्देशानुसार त्वरित गति से कार्य कर पंचायत, ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाएं जिससे कि हर बिजली विहीन परिवार इस योजना का लाभ लेकर अपने घर रोशन कर सके।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन विहीन गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सभी घरों को अक्टूबर 2018 तक रोशन करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना केन्द्र व मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से क्रियान्वित हो रही है।

सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन लेना आसान - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन लेना आसान हो गया है। सौभाग्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को रोशन करने के लिए भारत सरकार की योजना है।

लाभार्थियों का चयन - सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना एस.ई.सी.सी. 2011 (एस.ई.सी.सी.) के आंकड़ों का उपयोग। एस.ई.सी.सी. सर्वे से चिन्हित लाभार्थियों (शहरी एवं ग्रामीण बीपीएल) को मुफ्त विद्‌युत कनेक्शन। ऐसे ग्रामीण परिवार जो मापदंडों के अनुसार लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं हैं, को इस योजना के लाभ के अंतर्गत 500 रू. मात्र राशि में विद्‌युत कनेक्शन। ऐसे लाभार्थियों को 50 रू. की बराबर किश्तों में आगामी 10 माह के बिलों के साथ भुगतान करने की सुविधा।

योजना के लाभ - जीवन स्तर में सुधार। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, महिलाओं को खाना-पानी में सहूलियत। प्रकाश, बल्व, पंखे से खुशहाल जिंदगी। मोबाईल चार्ज करने की सुविधा। घर से ही आनलाईन सेवाओं का लाभ जैसे रेलवे आरक्षण, बैंकिंग आदि। रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन साधनों का विकास। रेडियो, टेलीविजन एवं कम्प्यूटर आधारित सूचना की उपलब्धता।

कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है - अपने नजदीकी कैम्प या बिजली विभाग के आफिस में जाकर बिजली कनेक्शन के लिए सूचित करना होगा। सभी कागजी कार्यवाही बिजली विभाग के अधिकारी द्‌वारा पूरी की जाएगी। कनेक्शन लेने वाले परिवारों को अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर आदि देना होगा। कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक अकाउंट देना होगा। वांछित सूचना के सत्यापन के बाद कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाईन नंबर 18002331912 पर संपर्क कर सकते हैं।

समाचार क्र. 54/2018

(मनोज द्‌विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ
प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने उजाला मोबाइल वैन को दिखाई झंडी

भोपाल 14 अप्रैल। शनिवार को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा स्थित मुख्यालय में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ग्राम स्वराज अभियान के तहत कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने ''उजाला मोबाइल वैन'' को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (तकनीकी) आर.एस.श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (भोपाल क्षेत्र) ए.के.खत्री, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के महाप्रबंधक गुरूसेवक सिंह, रीजनल मैनेजर कुनाल सोनी सहित सौभाग्य नोडल एजेंसी आरईसी के अधिकारी एवं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि भारत सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा आज से 5 मई तक मनाया जाएगा।

उजाला योजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष एलईडी, ट्यूबलाइट, पंखे एवं अन्य उपकरण सस्ती दरों पर बेचे जाएंगे जिस पर तीन साल तक की वारंटी भी दी जाएगी। पूरे प्रदेश में करीब 50 उजाला वैन गांव-गांव जाकर इन ऊर्जा दक्ष उपकरणों के बारे में जानकारी के साथ-साथ ऊर्जा बचत का संदेश देंगे। इसी दौरान भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य'' का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए कैम्प लगाकर कनेक्शन भी देंगे।

समाचार क्र. 53/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

विद्युत-भवन

ग्राम स्वराज अभियान
सौभाग्य योजना

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

उपभोक्ता बिजली कंपनी के
एफओसी वाहन के द्वारा भी सर्विस केबल बदलवा सकेंगे

भोपाल 13 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को घर पहुँचकर सर्विस केबल बदलने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। उपभोक्ता चाहें तो बिजली कंपनी की मदद से बिजली खंभे से मीटर तक अपनी सर्विस केबल बदलवा सकेंगे।

दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कॉल सेन्टर में अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि विद्युत अवरोध हो गया है घर में लाइट नहीं है। शिकायत करते समय उपभोक्ता को यह नहीं मालूम होता है कि लाइट क्यों गई है। उपभोक्ता कॉल सेन्टर में फोन करते हैं तो कॉल सेन्टर का एफओसी वाहन लाइनकर्मी के साथ विद्युत अवरोध दूर करने के लिए जांच करते हैं। मालूम होता है कि संबंधित उपभोक्ता की सर्विस केबल डेमेज है। ऐसी अवस्था में विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता की सर्विस लाइन एफओसी स्टॉफ द्वारा बदलने की सुविधा प्रदान कर दी है। कंपनी ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी एफओसी वाहन में सिंगल फेस की 6 स्क्वायर एमएम की सर्विस लाइन रखी जाए। आकस्मिक परिस्थिति में उपभोक्ता की सप्लाई चालू करने हेतु उपभोक्ता को यह विकल्प दिया गया है कि यदि वे अपनी सर्विस केबल एफओसी दल से बदलवाना चाहते हैं तो निर्धारित मापदंड के अनुसार एस.ओ.आर. रेट तथा सर्विस चार्ज जिसकी भुगतान राशि संबंधित माह के बिल राशि में जोड़कर देय होगी का सहमति पत्र भरने के उपरांत अपने बिजली कनेक्शन के सर्विस केबल बदलवाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें न्यूनतम चार्ज 30 मी. की दूरी मानते हुए उपभोक्ता से लिया जाएगा।

समाचार क्र. 52/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 5 मई तक
कैम्प लगाकर दिए जाएंगे सौभाग्य योजनान्तर्गत बिजली कनेक्शन

भोपाल 13 अप्रैल। भारत सरकार द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा अंतर्गत 14 अप्रैल से 5 मई तक विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और ऊर्जा विभाग म.प्र.शासन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में जिन गावांे में 80 प्रतिशत दलित आबादी है, को शतप्रतिशत विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य‘‘ में इस लक्ष्य की पूर्ति 30 अप्रैल तक करना है। इसी अनुक्रम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 5 मई तक और 28 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसमें कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में सौभाग्य योजना के पैम्पलेट, बैनर लगाकर कैम्प आयोजित कर बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कंपनी कार्यक्षेत्र के श्योपुर जिले में 2 गांव, मुरैना में 34, भिण्ड में 28, ग्वालियर में 20, दतिया में 11, शिवपुरी में 8, सीहोर में 12, रायसेन में 6, होशंगाबाद में 5, गुना में 8, अशोकनगर में 5, राजगढ़ में 14, विदिशा में 5, भोपाल में 5 एवं सीहोर में 3 गावों में कैम्प आयोजित कर सौ से लेकर दो सौ कनेक्शन उस दिन जारी किए जाएंगे।

जिलेवार गावों के नाम जहॉ कैम्प आयोजित होंगे :

क्र.	जिला	ग्राम	क्र.	जिला	ग्राम
1	श्योपुर	लढपुरा	9	भिण्ड	खदर गौहट
	श्योपुर	हलगोउड़ा खुर्द		भिण्ड	सिंघपुरा
2	मुरैना	अम्बाह		भिण्ड	द्वार
	मुरैना	बिचोला		भिण्ड	देवरी
	मुरैना	कचनोधा		भिण्ड	खेरिया
	मुरैना	अझेंदा		भिण्ड	मुस्तरी
	मुरैना	खड़िया पोरसा		भिण्ड	सिलोली
	मुरैना	लालपुरा		भिण्ड	खोकीपुरा
	मुरैना	राथा		भिण्ड	पृथ्वीपुरा
	मुरैना	रायपुरा		भिण्ड	छपरा
	मुरैना	सेंथरा अहिर		भिण्ड	मनपुरा
	मुरैना	डोमपुरा		भिण्ड	इकाहरा

	मुरैना	खेड़ा मेवड़ा		भिण्ड	छकमाधोपुर
	मुरैना	रसीलपुर		भिण्ड	लाछुरा
	मुरैना	खेरियाकलां		भिण्ड	नवाली
	मुरैना	बिचोला		भिण्ड	रंुधसराकर
	मुरैना	गोबरा		भिण्ड	बनीपुरा
	मुरैना	बस्तपुर		भिण्ड	पाली (दिरमन)
	मुरैना	चोंदा		भिण्ड	देहगांव
	मुरैना	इमलिया		भिण्ड	मखोरी
	मुरैना	पछोखरा		भिण्ड	मनोहर का पुरा
	मुरैना	कैमारा		भिण्ड	बगियापुरा
	मुरैना	गैपरी		भिण्ड	मोरखी
	मुरैना	नरहोली		भिण्ड	मेहारी
	मुरैना	उरहेरा		भिण्ड	चिरोली
	मुरैना	अरहेला		भिण्ड	छिवाली नं.2
	मुरैना	संकरा		भिण्ड	गोरा
	मुरैना	रायपुरा जागीर		भिण्ड	रायपुरा
	मुरैना	अंतरी	**10**	ग्वालियर	अडुपुरजागीर
	मुरैना	दीपेरा		ग्वालियर	गणेशपुरा
	मुरैना	थाटीपुरा		ग्वालियर	सिरोली
	मुरैना	खिरका		ग्वालियर	रतवई
	मुरैना	रामगढ़		ग्वालियर	बिजोली
	मुरैना	डोंगरपुरा		ग्वालियर	मुगलपुरा
	मुरैना	शिवलाल पुरा (कुल्हड़ी)		ग्वालियर	हस्तनापुर
	मुरैना	कैमारी		ग्वालियर	कृपालपुर
3	दतिया	खेरोनघाट		ग्वालियर	छपरोली
	दतिया	बरगुवान		ग्वालियर	चिरपुरा
	दतिया	बड़ेहरी		ग्वालियर	छपरा
	दतिया	बेहरूका		ग्वालियर	निबी
	दतिया	बजनी		ग्वालियर	अकबई बाड़ी
	दतिया	हमीरपुरा		ग्वालियर	समुदान
	दतिया	दगुरई		ग्वालियर	अरू
	दतिया	सिंधवारी		ग्वालियर	खेड़ी रायमल
	दतिया	पथरा		ग्वालियर	गोहिंदा
	दतिया	गुर्जरा		ग्वालियर	बनहेरी
	दतिया	भलका		ग्वालियर	दुबाही
4	शिवपुरी	गुगरीपुरा		ग्वालियर	ररूआ
	शिवपुरी	भावखेड़ी	**11**	गुना	रेंझई
	शिवपुरी	फूलपुर		गुना	चक विश्वनगर
	शिवपुरी	सिलरा		गुना	गोदलपुर
	शिवपुरी	कलोथरा		गुना	पुरैना

	शिवपुरी	रेहरगवां		गुना	गोविंदपुरा
	शिवपुरी	पनवारी		गुना	रुसल्ला
	शिवपुरी	हिम्मतपुर		गुना	विद्रावन
5	सीहोर	माना खेड़ी		गुना	बिजनीपुरा
	सीहोर	बीसू खेड़ी	12	अशोकनगर	बिसोर
	सीहोर	मुराबर		अशोकनगर	पिपरई
	सीहोर	सेमलीबारी		अशोकनगर	भेसरवास
	सीहोर	बिलपन		अशोकनगर	महुआखड़ी (पर्त)
	सीहोर	धिंगाखेड़ी		अशोकनगर	दवरोड़
	सीहोर	धुराड़ा कला	13	राजगढ़	सनखेड़ी
	सीहोर	शेकू खेड़ा		राजगढ़	पदमपरा
	सीहोर	फुदरा		राजगढ़	बलचीड़ी
	सीहोर	बड़रिया हट		राजगढ़	शाहपुरा
	सीहोर	बरखेड़ा कुर्मी		राजगढ़	डोबड़ा
	सीहोर	बिछोली		राजगढ़	अमगरहा
6	रायसेन	शाहपुर		राजगढ़	गांधीग्राम
	रायसेन	उचेर		राजगढ़	मुगलखेड़ी
	रायसेन	ब्यावरा		राजगढ़	बनी
	रायसेन	चरगांव		राजगढ़	कडिया सनसी
	रायसेन	बांसपिपलिया		राजगढ़	जाटखेड़ी
	रायसेन	छींद		राजगढ़	बोरवाह खुरदम
7	होशंगाबाद	बम्होरी खुर्द		राजगढ़	जांगीबड़
	होशंगाबाद	चीचली		राजगढ़	बमोरी
	होशंगाबाद	थूटा दहईवाड़ा	14	विदिशा	अहमदनगर (मोतीपुर)
	होशंगाबाद	रिछेड़ा		विदिशा	मडागन
	होशंगाबाद	कामठी रंधीर		विदिशा	बरेज
8	भोपाल	धाकपुर		विदिशा	अम्बानगर
	भोपाल	तरावली कला		विदिशा	राजोड़ा
	भोपाल	खर्जुला रामदास	15	सीहोर	रूपेता
	भोपाल	करोदल्या		सीहोर	छनोता
	भोपाल	अगरिया		सीहोर	चोपड़िया

समाचार क्र. 51/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

उजाला मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल

भोपाल 12 अप्रैल। भारत सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्ारमीण विकास विभाग के सहयोग से ग्राम स्वराज अभियान 14 से 28 अप्रैल मनाया जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा दक्ष उपकरणों को लेकर उजाला मोबाइल वैन यात्रा 14 अप्रैल को प्रातः 11 बजे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा स्थित कंपनी मुख्यालय में प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। इस अवसर पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के महाप्रबंधक गुरसेवक सिंह, रीजनल मैनेजर कुनाल सोनी, सीनियर इंजीनियर निशांत स्वरूप शर्मा, इंजीनियर सुधांशु तर्वे सहित आरईसी एवं मध्य क्षेत्र कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

गौरतलब है कि भारत सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) उजाला योजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष एलईडी, ट्यूबलाइट, पंखे एवं अन्य उपकरण सस्ती दरों पर बेच रहा है जिस पर तीन साल तक की वारंटी भी दी जा रही है। पूरे प्रदेश में करीब 50 उजाला वैन गांव-गांव जाकर इन ऊर्जा दक्ष उपकरणों के बारे में जानकारी के साथ-साथ ऊर्जा बचत का संदेश देंगे। इस मौके पर भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य ' ' का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए कैम्प लगाकर कनेक्शन भी देंगे।

समाचार क्र. 50/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

14 अप्रैल को होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 22 अप्रैल को आयोजित होगी
<u>बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते</u>

भोपाल 11 अप्रैल। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 22 अप्रैल 2018 (रविवार) को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।

कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।

प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।

- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

- उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

- आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

- नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।

- सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

यह छूट मात्र नेशनल ''लोक अदालत/मेगा लोक अदालत'' 22 अप्रैल 2018 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

समाचार क्र. 49/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें : डॉ. संजय गोयल

भोपाल 9 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यस्थल पर बिजली उपभोक्ताओं से सम्मानजनक एवं शालीन व्यवहार करें। कंपनी ने अपने फ्रंट आॅफिस (उपभोक्ता सेवा केन्द्रों) के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनका उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क रहता है, से कहा है कि उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें और उपभोक्ताओं की शिकायतों को तत्परता से हल करें। कंपनी ने कहा है कि खराब व्यवहार की शिकायतें मिलने पर संबंधित विद्युतकर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के 32 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं की विद्युत व्यवधान की शिकायतें हल करने के साथ-साथ संबंधित उपभोक्ताओं को विश्वास में लिया जाए।

समाचार क्र. 48/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
समाचार
गर्मी के मौसम में बिजली बिल को नियंत्रित करने हेतु आसान उपाय एवं जानकारियां

भोपाल 9 अपै्रल। मध्य क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि वे गर्मी के मौसम में बिजली बिल नियंत्रित रखने हेतु दिए जा रहे आसान उपाय और जानकारियां अपनाकर बिजली और बिल की राशि दोनों में बचत कर सकते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें तथा गैर-जरूरी पंखे, लाईट इत्यादि उपकरणों को बंद रखें। विशेषतः कार्यालयीन समय में भोजनावकाश के दौरान, घर से बाहर एवं कक्ष से बाहर जाते समय, ध्यानपूर्वक समस्त प्रकाश, पंखे एवं कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि को बंद करें चाहे आप थोड़े समय के लिए ही क्यों न बाहर जा रहे हों। अपने साथियों, सहकर्मियों, अधीनस्थ कर्मचारियों एवं परिवार को प्रोत्साहित करें कि वे दिन के समय विद्‍युत का कम से कम उपयोग करें। घरों में उपयोग होने वाले उपकरणों का प्रयोग यथासंभव एक साथ न करें क्योंकि ऐसा करने से घर की वायरिंग में विद्‍युत क्षति बढ़ जाती है।

वार्षिक विद्‍युत खपत का लगभग 9 प्रतिशत केवल प्रकाश व्यवस्था पर खर्च होता है। अतः विद्‍युत का उपयोग अति आवश्यक अवसरों पर करने पर विद्‍युत खर्च में लगभग 20 प्रतिशत की कमी की जा सकती है। ब्यूरो आफ एनर्जी इफिशिएंसी द्‍वारा प्रमाणित कम से कम तीन सितारा चिन्हित ऊर्जा दक्ष उपकरणों का क्रय करने से ऊर्जा खपत कम की जा सकती है। अप्रमाणित उपकरण क्रय करते समय सस्ते हो सकते हैं किंतु इनमें बिजली खपत अधिक होती है एवं कुछ अंतराल के पश्चात् ये महंगे साबित होते हैं। इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टी.वी. को स्टैण्डबाई मोड पर न रखने से 1 वर्ष में लगभग 70 यूनिट विद्‍युत की बचत हो सकती है।

कम्प्यूटर : कम्यूटर के मानिटर एवं कापीअर्स को स्लीप मोड में रखने से लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है। एलईडी मॉनिटर का प्रयोग करें यह पारंपरिक सी.आर.टी. मॉनिटर की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है। यदि कम्प्यूटर को चालू रखना आवश्यक हो तो मॉनिटर अवश्य बंद रखें जो कि कुल ऊर्जा का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है। यदि एक कम्प्यूटर 24 घंटे चालू रखा जाए तो यह एक ऊर्जा दक्ष फ्रिज से अधिक विद्‍युत खर्च करता है। अतः उपयोग न होने पर कम्प्यूटर बंद रखें।

एलईडी बल्ब : वर्तमान में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत हेतु अतिउत्तम विकल्प है क्योंकि इनका उपयोग करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। एलईडी बल्ब बार-बार चालू/बंद करने से उनकी उम्र पर असर नहीं पड़ता है जबकि साधारण बल्ब जल्दी ही फ्यूज हो जाता है। एक 40 वाट के साधारण बल्ब के प्रकाश के बराबर के प्रकाश के लिए 4 से 5 वाट क्षमता के एलईडी बल्ब की आवश्यकता होती है। एलईडी बल्ब परंपरागत बल्ब की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक प्रकाश देते हैं एवं इनकी टिकाऊ होने की अवधि सामान्य बल्ब की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। यह कम ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ज्यादा गर्म भी नहीं होते हैं।

एलईडी, सीएफएल एवं साधारण बल्ब की तुलना :

विवरण	एलईडी	सीएफएल	साधारण बल्ब
वाट (खपत)	7 वाट	14 वाट	60 वाट
ऊर्जा क्षमता	88 प्रतिशत	50 प्रतिशत	0
बिजली बिल में वार्षिक बचत (प्रति बल्ब रू.)	140-400	85	निरंक
आयु घंटों में	25000	8000	1200
निःशुल्क वारंटी	3 वर्ष	1 वर्ष	निरंक

भारत सरकार द्वारा ऊर्जा की बचत हेतु उजाला कार्यक्रम के तहत साधारण बल्ब एवं सीएफएल को हटाकर एलईडी बल्ब घरेलू भवनों में लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 अप्रैल 2018 की स्थिति में पूरे देश में 29 करोड़ 53 लाख 1 हजार 866 एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिसमें मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख 483 एलईडी बल्बों का वितरण हुआ है। इसी तरह पूरे देश में 62 लाख 42 हजार 173 एलईडी ट्यूबलाईट वितरित किए गए हैं जिसमें मध्यप्रदेश में 4 लाख 13 हजार 509 ट्यूटलाइट का वितरण हुआ है। साथ ही पूरे देश में 18 लाख 49 हजार 332 पंखों का वितरण किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश में 97 हजार 432 पंखे वितरित किए गए हैं। वर्तमान में एलईडी बल्ब का उपयोग सड़कबत्ती में भी किया जा रहा है एवं एलईडी बल्ब के उपयोग से 50 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत की जा सकती है।

रूफ टाप सोलर पैनल : सौर ऊर्जा मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 10 कि.वा. से 500 कि.वा. के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। के.डब्ल्यू. रूफ टाप पैनल के लिए सामान्यतः 100 वर्गफुट छत की आवश्यकता होती है। आवासीय घरों के लिए एक से पांच के.डब्ल्यू. क्षमता के पैनल पर्याप्त होते हैं। सौर प्रणाली का उपयोग करने से छत की जगह का उपयोग भी होता है एवं धन की भी बचत होती है तथा कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है जिससे पर्यावरण भी संरक्षित रहता है।

सीलिंग फैन : वर्तमान में नियमित पंखों के स्थान पर बीईई फाईव स्टार रेटेड पंखे एवं उच्च दक्षता के पंखे उपलब्ध हैं जो कि ऊर्जा की बचत करने में सहायक होते हैं। तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन नीचे दी गई तालिक से स्पष्ट होता है :

विवरण	साधारण पंखे	बीईई स्टार रेटेड पंखे	उच्च दक्षता के पंखे
कीमत	रू. 1500	रू. 1940	रू. 2600
नियामक लागत	रू. 200	रू. 200	रू. 0
वाट क्षमता	75 वाट	50 वाट	35 वाट
हवा का वितरण	230 क्यूबिक मीटर/मिनिट	210-220 क्यूबिक मीटर/मिनिट	230 क्यूबिक मीटर/मिनिट
प्रति वर्ष खपत यूनिट	180 यूनिट	120 यूनिट	84 यूनिट
प्रति वर्ष बिजली की लागत	रू. 900	रू. 600	रू. 420
10 वर्षों के लिए बिजली की लागत	रू. 10800	रू. 7200	रू. 5000

फ्रिज : फ्रिज को दीवार, सीधे सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य ऊष्मा देने वाले उपकरणों के पास न रखें। फ्रिज के पीछे कंडेंसर क्वाईल पर जमी धूल के कारण मोटर को अधिक कार्य करना पड़ता है एवं बिजली ज्यादा लगती है, अतः क्वाइल्स को नियमित साफ करें। फ्रीजर की नियमित डीफ्रास्टिंग आवश्यक है जिससे कूलिंग करने हेतु फ्रिज को अधिक कार्य करना पड़ता है एवं इससे अधिक ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसके अंदर के स्थान का पूर्ण उपयोग आवश्यक है किंतु भीतर खुली हवा के सरकुलेशन के लिए जगह छोड़ना जरूरी है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। फ्रिज के दरवाजे की गास्केट में लीकेज नहीं होना चाहिए, जिसके कारण फ्रिज हमेशा अधिक ऊर्जा खर्च करता है एवं बिजली का बिल अधिक आता है।
एयर कंडीशनर्स (एसी) : 25 डिग्री सैंटीग्रेड की सेटिंग पर न्यूनतम खर्च में अधिकतम समुचित आरामदेह वातानुकूलन प्राप्त होता है। पुराने एवं रिपेयर किए हुए एसी की दक्षता कम होती है। इसकी तुलना में नए ऊर्जा दक्ष एसी खरीदना बेहतर एवं किफायती है। एक अच्छा एसी लगभग 30 मिनट में एक कमरे को ठण्डक प्रदान कर देता है अतः टाइमर का प्रयोग कर एसी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जा सकता है। इसके एयर फिल्टर्स में धूल जमा होने पर हवा का बहाव कम हो जाता है जबकि साफ फिल्टर्स से शीतलता शीघ्र प्राप्त होती है एवं बहुमूल्य ऊर्जा की बचत होती है। घर के आसपास हरियाली पेड़-पौधों की छांव रहने पर एसी द्वारा विद्युत की खपत में 40 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। थर्मोस्टेट की सेटिंग शीतकाल में 2 डिग्री कम एवं ग्रीष्मकाल में 2 डिग्री अधिक करने पर लगभग 900 किलो कार्बन डायआक्साईड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।

समाचार क्र. 47/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
समाचार
विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें

भोपाल 9 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनने वाली सड़क मार्गों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों का अंतराल यदि प्रस्तावित सड़क के कारण कम हो रहा है तो विद्युत लाइन के खम्बों की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव कम्पनी के प्रचलित नियमानुसार संबंधित एजेन्सी को नोटिस के साथ भेजें और साथ ही सुनिश्चित करें कि निर्धारित सुरक्षित अंतराल मेन्टेन करने के बाद ही उस लोकेशन पर सड़क निर्माण हों।

कंपनी ने कहा है कि सड़कों की बार-बार मरम्मत से सड़कों की ऊंचाई बढ़ने से लाइनों और सड़क के बीच अंतराल कम होता जाता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देकर ऐसी लोकेशनों पर लाइन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु संबंधित एजेन्सी से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। नवीन कालोनियों में विद्युत प्रदाय करने के लिए रोड, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइन आदि के निर्माण के साथ-साथ उपकेन्द्र तथा लाइनों का विस्तार भी प्राथमिकता के आधार पर हो ताकि भवन निर्माण का कार्य लाइनों से सुरक्षात्मक दूरी (अंतराल) रखते हुए नियमानुसार हो सके।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण और विस्तार के दौरान यदि कोई भवन निर्माता/संस्था निर्धारित प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है तो संबंधित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग कराते समय यदि कहीं रोड, भवन, स्ट्रक्चर का निर्माण नियम विरूद्ध होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता, एजेन्सी और भवन स्वामी को विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सुरक्षित अंतराल रखने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी करें तथा नोटिस की अवधि के दौरान सुरक्षित अंतराल बनाये रखने हेतु कार्यवाही नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। नई लाइनों के निर्माण के दौरान रोड, भवन या स्ट्रक्चर से उक्त नियमानुसार निर्धारित सुरक्षित अंतराल रखते हुए ही कार्य कराए जाएं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम लोगों को विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने को कहा है। कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण, कालोनी के निर्माण और रोड के विस्तार के दौरान अक्सर यह देखने में आया है कि बिजली के खम्बों को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया जाता है या कालोनी के विद्युतीकरण के दौरान कालोनाइज़र अपनी सुविधा से बिजली के खम्बों को लगा देता है तथा सड़क विस्तार के दौरान सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है। इस दौरान विद्युत सुरक्षा के मापदण्डों का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार यह पाया जाता है कि रोड ऊंची कर ली जाती है परन्तु बिजली के खम्बों से रोड के बीच का विस्तार और दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा सुरक्षा के नियमों को अनदेखा कर दिया जाता है। फलस्वरूप दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और कभी-कभी दुर्घटनाएं हो भी जाती है। इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि इस प्रकार के नियम विरूद्ध कार्यों की रोकथाम की जाए और मैदानी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय सुचारू रखने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके अनुसार कार्यवाही की जाए।

समाचार क्र. 46/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

satish verma\2018\News mail\9 Apr 18

कार्यालय प्रबंध संचालक,

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

फेल वितरण ट्रांसफार्मर के

परिवहन पर मिलेगी प्रतिपूर्ति राशि

<u>मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दरें जारी</u>

भोपाल 7 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा फेल ट्रांसफार्मर कृषक/ग्रामवासी द्वारा परिवहन किए जाने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति दरें निर्धारित कर दी हैं। कंपनी द्वारा फेल ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु कृषक/ग्रामवासी द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि प्रतिपूर्ति के रूप में संबंधित कृषक/ग्रामवासी को दी जाएगी।

गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत कृषक/ग्रामवासी द्वारा फेल वितरण ट्रांसफार्मर को संभागीय मुख्यालय से परिवहन कर डी.पी. तक ले जाने एवं फेल ट्रांसफार्मरों को डी.पी. से मुख्यालय तक लाने हेतु वाहन उपलब्ध कराने पर 25 कि.मी तक 400 रूपये 26 से 50 कि.मी. तक 800 रूपये एवं 50 कि.मी. से अधिक के लिए 8 रूपये प्रति कि.मी. के हिसाब से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

समाचार क्र. 45/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

कनिष्ठ यंत्री (विद्युत) की प्रावधिक चयन सूची जारी

भोपाल 7 अप्रैल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने 14 कनिष्ठ यंत्री (विद्युत) संविदा की प्रावधिक चयन सूची तथा 150 लाइन परिचारक संविदा की शारीरिक परीक्षा हेतु चयन सूची 6 अप्रैल को जारी कर दी है। चयन सूची मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बेवसाइट www.mpcz.co.in तथा एम. पी.आॅनलाइन के वेबपोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। यह चयन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में दर्शायी शर्तों तथा पारिश्रमिक के अधीन रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को पृथक से आॅफर लेटर जारी किए जा रहे हैं।

समाचार क्र. 44/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक,

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

बिजली कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 वर्ष

भोपाल 3 अप्रैल। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधीन सभी विद्युत कंपनियों के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गौरतलब है कि राज्य शासन के आदेशानुसार 31 मार्च 2018 को प्रख्यापित म.प्र.शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु (सेवानिवृत्ति) को साठ (60) से बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष किया गया है।

बिजली कंपनियों में यह आदेश 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगा। 31 मार्च, 2018 को सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवारत माना जाएगा एवं विशेष परिस्थिति में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी सेवाएं निरंतर मानी जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं ऊर्जा मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन के निर्देशानुसार आज ऊर्जा विभाग ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

समाचार क्र. 43/2018

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

satish verma\2018\News mail\3 Apr 18